उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-26/2016/एस-2-2254/दस-2016-88क(1)/2016
लखनऊ :: दिनॉक:: 04 नवम्बर, 2016

<u>कार्यालय-आदेश</u>

श्री राज्यपाल, सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के कॉलम संख्या-2 में उल्लिखित अधिकारियों को उनके अपने कार्य के साथ-साथ तालिका के कालम-3 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते के दिये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/ पदनाम/ वर्तमान तैनाती	पद व स्थान जिसका अतिरिक्त प्रभार दिया जा रहा है
1	2	3
1	श्री भानु प्रताप सिंह, वित्त अधिकारी, ख्वाजा मुइनुददीन चिश्ती उर्दू अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ।	वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2	श्री राम कृपाल बिन्द, अपर आयुक्त (वित्त) राजस्व परिषद उ0प्र0 लखनऊ।	वित्त नियंत्रक, मनोरंजनकर आयुक्त उ0प्र0 लखनऊ।
3	श्रीमती सगीरा सिददीकी, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायतीराज लेखा उ0प्र0 लखनऊ।	वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राज्य पिछडा वर्ग आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- संबंधित अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, की प्रति शासन एवं निदेशक कोषागार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(शिव गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या- /2016/ एस-2-2254(1)/दस-2016, तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/उच्च शिक्षा/ राजस्व/मनोरंजनकर/ पिछडा वर्ग,उ0प्र0 शासन।
2- महानिदेशक,परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- कुल सचिव/कुलपति,ख्वाजा मुइनुददीन चिश्ती उर्दू अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanades.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- आयुक्त/सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0 लखनऊ।
5- आयुक्त, मनोरंजनकर उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, राज्य पिछडा वर्ग आयोग उ0प्र0 लखनऊ।
8- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
9- मुख्य कोषाधिकारी, (जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट)लखनऊ।
10- संबंधित अधिकारीगण।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanades.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।